उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, **A&D** ब्लाक किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-**226016(उ0प्र0)**

टेलीफोनः**91-522-2723921/1,** टोल फ्री नं**0-18001805412** फैक्सः **91-522-2723921**

ई-मेलः **upbocboardlko@gmail.com**

-अधिसूचना-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-3247-57/भ0नि0बो0(2110)-2022 दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित ''कन्या विवाह सहायता योजना'' अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर पूर्वानुमोदन संख्या-19/2025/I/1114442/2025-511370 श्रम अनुभाग-02 दिनांक-13.10.2025 के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जाने वाली ''कन्या विवाह सहायता योजना'' के अंतर्गत निम्नवत् संशोधन किए गए हैः-

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	**वर्तमान व्यवस्था**	**संशोधित व्यवस्था**
1	**2**	**3**
प्रस्तर-01 योजना का नाम	**कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)**	**कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)**
प्रस्तर-02 योजना का उद्देश्य	इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि	इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि

	विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।	विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।
प्रस्तर-03 पात्रता	इस योजना के अन्तर्गत वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगें जो बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लिये ऐसे अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेंगे, जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हो।	1. इस योजना के अन्तर्गत वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगें जो बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की आयु, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लिये ऐसे अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेंगे, जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हो। 2. प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, से कम आयु नहीं होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात ही उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा।

प्रस्तर-04 आवेदन की प्रक्रिया	विवाह सम्पन्न होने के तीन माह के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन करना होगा, परन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन, विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा- 1.प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, से कम आयु नहीं होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा। 2. निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा। 3. संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।	विवाह सम्पन्न होने के छः माह (06 माह) के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन करना होगा, परन्तु सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन, विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा- 1. निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा। 2. सामूहिक विवाह की स्थिति में संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/ परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति। 3. पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख। 4. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्व-प्रमाणित प्रति। 5. सामूहिक विवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विवाह प्रकरणों में

	4. विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/ तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो। 5. पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख। 6. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति। 7. विवाह होने संबंधी (वर-वधू) का फोटोग्राफ, जो कि श्रमिक द्वारा स्व-प्रमाणित हो। 8. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन/स्वघोषणा प्रमाण पत्र। पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्व-घोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।	संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। 6. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन/ स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 7. पंजीकृत श्रमिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा, कि वह योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तथा उसके द्वारा तथ्यों को दुर्व्यपदेशन द्वारा या उन्हे छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

प्रस्तर-05 देय हितलाभ का विवरण	1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रू0 55,000/-(रूपये पचपन हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रू0 61,000/- (रूपये इकसठ हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोडों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु रू0 65,000/-(रूपये पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू0 7,000/-प्रति जोड़े की दर से भुगतान, बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु रू0 5000/- प्रत्येक की दर से धनराशि, सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 01 सप्ताह पूर्व पंजीकृत श्रमिक के खाते में अन्तरित की जायेगी एवं यदि दोनों पक्षों में से	1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रू0 65,000/-(रूपये पैसठ हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रू0 75,000/- (रूपये पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोडों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु रू0 85,000/-(रूपये पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू0 15,000/- प्रति जोड़े की दर से भुगतान उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। A. यदि किसी आवेदक द्वारा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या

	कोई भी एक पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी दशा में सामान्य/ अन्तरर्जातीय विवाह (जैसी भी स्थिति हो) में देय धनराशि में पोशाक हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।	उन्हे छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके की जा सकेगी। B. सामूहिक विवाह के प्रकरण में आयोजन में होने वाले व्यय हेतु दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है- सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु प्रति जोड़े की दर से देय धनराशि रू0 15,000/- (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) से अनिवार्य रूप से की जानी वाली व्यवस्था का विवरण अग्रलिखित है- I. विवाह हेतु 02 नग गुलाब के फूल की जयमाल, निकाह हेतु सेहरा-बेला/चमेली के फूलों की। II. पगड़ी/साफा (वर हेतु)। III. चुनरी (वधू हेतु)। IV. विवाह सम्पन्न कराने हेतु पुजारी व मौलवी के लिए दक्षिणा/ पारिश्रमिक।

	1. यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मात्र दो पुत्रियों हेतु अनुमन्य होगा चाहे उसके दो से अधिक संतान ही क्यों न हों। 2. पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता/माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह हितलाभ केवल उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह-विच्छेद वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। विवाह-विच्छेद के प्रकरणों में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि तथा पति की मृत्यु के उपरान्त किये जाने वाले पुनर्विवाह की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत पति के	V. सजावट (मंच व पण्डाल की भव्य व आकर्षक सजावट)। VI. कार्यक्रम स्थल पर बड़ी स्क्रीन वाली दो से चार एल0ई0डी0टी0वी0। VII. कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर फूलों की सजावटयुक्त भव्य व आकर्षक प्रवेश द्वार, जिस पर कार्यक्रम से संबंधित बैनर भी लगाया जायेगा। VIII. ध्वनि विस्तारक/साउण्ड बॉक्स /माइक की व्यवस्था। IX. मंच हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित बैनर भी लगाया जायेगा। X. वर-वधू व उनके पक्ष के 05-05 व्यक्तियों के नाश्ते हेतु व्यवस्था। XI. वर-वधू व उनके पक्ष के 05-05 व्यक्तियों के भोजन हेतु व्यवस्था। XII. वर-वधू पक्ष के लिए मिष्ठान की व्यवस्था। XIII. सम्पूर्ण कार्यक्रम की प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की वीडियोग्राफी की व्यवस्था। XIV. कार्यक्रम स्थल पर सड़क के किनारे एक बड़ी होर्डिंग की

	मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक अभिलेख के रूप में वाँछित होगी। पुनर्विवाह के प्रकरणों में देय हितलाभ की धनराशि सामूहिक विवाहों के प्रकरणों में देय धनराशि के समतुल्य होगी। 3. पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।	व्यवस्था (जिसमें योजना की पात्रता व आवेदन करने की व्यवस्था आदि का उल्लेख हो।) XV. अन्य प्रकीर्ण व्यवस्थाओं हेतु यथा- विशिष्ट अतिथियों हेतु जलपान/भोजन व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना। XVI. सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्था किया जाना। 2. यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मात्र दो पुत्रियों हेतु अनुमन्य होगा चाहे उसके दो से अधिक संतान ही क्यों न हों। 3 पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता/माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह हितलाभ केवल उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह-विच्छेद वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो।

		विवाह-विच्छेद के प्रकरणों में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि तथा पति की मृत्यु के उपरान्त किये जाने वाले पुनर्विवाह की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक अभिलेख के रूप में वाँछित होगी। पुनर्विवाह के प्रकरणों में देय हितलाभ की धनराशि सामूहिक विवाहों के प्रकरणों में देय धनराशि के समतुल्य होगी। 4.पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।
प्रस्तर-06 हितलाभ स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया	पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा पुत्री के विवाह होने की तिथि से तीन माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परन्तु श्रमिक द्वारा अपनी पुत्री के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की स्थिति में 15 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 1.कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त समस्त	पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा पुत्री के विवाह होने की तिथि से छः माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परन्तु श्रमिक द्वारा अपनी पुत्री के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की स्थिति में न्यूनतम 15 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 1. कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त समस्त

	आवेदन पत्रों पर अधिसूचित कल्याण अधिकारी (जॉच अधिकारी) यथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वास्तविक निर्माण श्रमिक होने की पात्रता के साथ-साथ योजना के प्रस्तर-03 में वर्णित पात्रता एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों (प्रस्तर-04 में वर्णित) की जॉच कर 15 दिन के भीतर (सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह सम्पन्न होने के पूर्व) हितलाभ के संबंध में यथास्थिति स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में सूक्ष्म रूप में कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।	आवेदन पत्रों पर अधिसूचित कल्याण अधिकारी(जॉच अधिकारी) यथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वास्तविक निर्माण श्रमिक होने की पात्रता के साथ-साथ योजना के प्रस्तर-03 में वर्णित पात्रता एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों (प्रस्तर-04 में वर्णित) की जॉचकर 15 दिन के भीतर (सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह सम्पन्न होने के पूर्व) हितलाभ के संबंध में यथास्थिति स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में सूक्ष्म रूप में कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।
	2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी की अनुशंसा के क्रम में सहायक श्रमायुक्त द्वारा भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी द्वारा हितलाभ हेतु अनुशंसित आवेदन पत्र पर योजना के अंतर्गत उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन की अपने स्तर से पुष्टि करते हुये हितलाभ के संबंध में यथास्थिति स्वीकृति/ अस्वीकृति की अनुशंसा	2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी की अनुशंसा के क्रम में 01 सप्ताह में सहायक श्रमायुक्त द्वारा भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी द्वारा हितलाभ हेतु अनुशंसित आवेदन पत्र पर योजना के अंतर्गत उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन की अपने स्तर से पुष्टि करते हुये हितलाभ के संबंध में यथास्थिति

	की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में भी सूक्ष्म रूप से कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा। 3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त की अनुशंसा के 15 दिन के भीतर स्वीकर्ता अधिकारी यथा अपर श्रमायुक्त/ उपश्रमायुक्त द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त द्वारा हितलाभ हेतु अनुशंसित आवेदन पत्र पर योजना के अंतर्गत उल्लिखित प्राविधानों का अपने स्तर से परीक्षण कर सहमत होने की दशा में स्वीकृति प्रदान की जायेगी। सहमत न होने की दशा में स्वीकर्ता अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी की संयुक्त जॉच टीम का गठन करके आवदेनों की जॉच करा सकता है। 4. स्वीकृति के 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खातें/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में भी सूक्ष्म रूप से कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा। 3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त की अनुशंसा के 01 सप्ताह के भीतर स्वीकर्ता अधिकारी यथा अपर श्रमायुक्त/ उपश्रमायुक्त द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी/ जॉच अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त द्वारा हितलाभ हेतु अनुशंसित आवेदन पत्र पर योजना के अंतर्गत उल्लिखित प्राविधानों का जांच अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त की आख्या के आधार पर अपने स्तर से परीक्षण कर सहमत होने की दशा में स्वीकृति प्रदान की जायेगी। सहमत न होने की दशा में स्वीकर्ता अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी/जॉच अधिकारी की संयुक्त जॉच टीम का गठन करके आवेदनों की जॉच करा सकता है। 4. स्वीकृति के 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में

	5. उक्त समय-सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।	उल्लिखित बैंक खातें/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त समय-सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।
प्रस्तर-07 कठिनाईयों का निवारण	योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होगे और इस संबध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।	योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होगे और इस संबध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

योजना के अंतर्गत उक्त संशोधन अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। उक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे।

कृपया संशोधित योजना के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(पूजा यादव)
सचिव, बोर्ड।

<u>उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ</u>

पत्र संख्या- दिनांक- .10.2025

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्रम/प्रशासक, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उनकी पूर्वानुमोदन संख्या-19/2025/I/1114442/2025-511370 श्रम अनुभाग-02 दिनांक-13.10.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री हिमांशु यादव, विशेष कार्याधिकारी(तकनीकि) बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल हेतु।

(पूजा यादव)
सचिव, बोर्ड।

Digitally signed by
POOJA YADAV
Date: 14-10-2025
21:52:23